

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के अंतर्गत कार्यरत झारखण्ड समेकित आदर्श ग्राम योजना परियोजना प्रबंधन इकाई (JIAGY-PMU) द्वारा कार्यान्वित की जा रही सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY)/प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PM AGY)/आदर्श ग्राम योजना (AGY)/मुख्य मंत्री स्मार्ट ग्राम योजना (CMSGY) के लिए राज्य, जिला तथा प्रखंड स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए सविदास्थ पूर्णकालिक परामर्शी (Consultant) पदों के लिए आवश्यक अर्हता एवं सविदा शर्त विवरणी

क्र. सं.	पद का नाम	योग्यता	अनुभव	कार्य का प्रकार	संविदा शर्त
1.	परामर्शी MIS समन्वयक	Two Years Post Graduate Degree or Diploma in B. Tech (Computers) / B.E. (Computers)/ MCA / IT Management M.Sc. in IT / Computer Hardware Engineering or equivalent Degree from recognised institution.	ग्रामीण विकास से संबंधित परियोजना के MIS management / Website designing/ maintenance / Database management / MIS Training / ICT application management / MS Office/Internet/ Intranet आदि कार्यो न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव। Age limit – 50 Years (As on 31/05/2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 परामर्शी - MIS समन्वयक राज्य में कार्यान्वित हो रही सभी प्रकार के आदर्श ग्राम योजना में Web Site, MIS, Database designing, maintenance, reporting etc. का कार्य करना।</li> <li>2 परामर्शी - MIS समन्वयक राज्य में कार्यान्वित हो रही सभी प्रकार के आदर्श ग्राम योजना में Website designing, online &amp; offline maintenance, reporting etc. का कार्य करना।</li> <li>3 परामर्शी - MIS समन्वयक राज्य में कार्यान्वित हो रही सभी प्रकार के आदर्श ग्राम योजना में MIS management &amp; online &amp; offline Website management के कार्य हेतु मोनिटरिंग, मार्गदर्शन एवं गुणवत्ता के लिए प्रशिक्षण मार्गदर्शिका तैयार कर राज्य एवं जिला स्तर पर मास्टर प्रशिक्षक का कार्य करना।</li> <li>4 परियोजनागत सभी प्रकार के प्रतिवेदन का समयबद्ध डाटा एंट्री एवं प्रकाशन सुनिश्चित करना।</li> <li>5 प्रधान सचिव , विशेष सचिव, प्रभारी पदाधिकारी,ए राज्य समन्वयक के द्वारा दिए गए योजनागत एवं अन्य दिशानिदेश का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. रु० पैंतीस हजार (Rs.35,000/) मात्र एकमुश्त प्रतिमाह।</li> <li>2. ग्रामीण विकास विभाग के स्वीकृत नियमवाली के आधार पर अधिकारिक स्वीकृत यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के आधार पर।</li> <li>3. अन्य किसी प्रकार के भत्ते, बिमा एवं सुविधा के पात्र नहीं होंगे</li> </ol>
2	परामर्शी जिला MIS सहायक (जिला स्तर)	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. UGC से मान्यताप्राप्त संस्थान से त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री</li> <li>ii. सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से एक वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (DCA) या समकक्ष</li> </ol>	<p>MIS संबंधित कार्यो में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>हिंदी टंकण न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 45 शब्द प्रति मिनट।</p> <p>पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन / ऑनलाइन/ ऑफलाइन डाटा एंट्री में दक्षता।</p> <p>Office Secretarial Practice में दक्षता।</p> <p>Age limit – 45 Years (As on 31/05/2017)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. परामर्शी - MIS सहायक जिला में कार्यान्वित किये जा रहे सभी प्रकार के आदर्श ग्राम योजनाओं यथा (सांसद आदर्श ग्राम योजना/प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना/आदर्श ग्राम योजना/मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना) से संबंधित ऑनलाइन/ऑफलाइन/वेबसाइट आधारित डाटा एंट्री प्राप्त दिशानिदेश एवं स्वीकृत प्रपत्र के अनुसार पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</li> <li>2. परामर्शी - MIS सहायक योजना से संबंधित सभी प्रकार के संचिका/दस्तावेज का परिचालन एवं संरक्षण करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</li> <li>3. परामर्शी - MIS सहायक योजना से संबंधित सभी प्रकार के पत्रों/प्रतिवेदन के आगम एवं निर्गम के लिए उत्तरदायी होंगे।</li> <li>4. परामर्शी - MIS सहायक योजना से संबंधित सभी प्रकार के प्रतिवेदन/पॉवर प्रेजेंटेशन अन्य दस्तावेजों का टंकण, डिजाइनिंग एवं मुद्रण के लिए उत्तरदायी होंगे।</li> <li>5. राज्य मुख्यालय के पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी/उपायुक्त/उप विकास आयुक्त/ जिला समन्वयक के द्वारा दिए गए योजनागत एवं अन्य दिशानिदेश का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. रु० पन्द्रह हजार (Rs. 15,000/- ) मात्र एकमुश्त प्रतिमाह।</li> <li>2. अधिकारिक स्वीकृत यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के आधार पर।</li> <li>3.अन्य किसी प्रकार के भत्ते, बीमा एवं सुविधा के पात्र नहीं होंगे।</li> </ol>
3.	परामर्शी जिला समन्वयक (District)	i. AICTE/UGC द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यो विशेषकर केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. परामर्शी - जिला समन्वयक जिला में कार्यान्वित किये जा रहे सभी प्रकार के आदर्श ग्राम योजनाओं यथा (सांसद आदर्श ग्राम योजना/प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना/आदर्श ग्राम योजना /मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना) के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वीकृत दिशानिदेश के अनुसार उपायुक्त/उप विकास</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.रु० पन्द्रह हजार (Rs. 35,000/) मात्र एकमुश्त प्रतिमाह।</li> <li>2. ग्रामीण विकास विभाग के स्वीकृत नियमवाली के आधार</li> </ol>

	<p><b>Coordinator)</b></p> <p>(PGRD)/प्रबंधन (PGRM), Masters in Social Work (MSW), MBA in Agribusiness, Sociology, Labour &amp; Social Welfare (LSW), Public Health (MPH), Forest Management (FM) में द्विवर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या समकक्ष ।</p>	<p>कार्यान्वयन, समन्वयन एवं अभिसरण का पंचायत/प्रखंड/ जिला स्तर पर न्यूनतम पाँच (05) वर्षों का अनुभव।</p> <p>MS Office/Internet/ Intranet परिचालन में कुशलता।</p> <p>Age limit – 50 Years (As on 31/05/2017)</p>	<p>आयुक्त/जिला कार्यक्रम प्रबंधक (NRLM) /प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य करेंगे।</p> <p>2. आदर्श ग्राम योजनाओं के लक्षित ग्राम पंचायतों/ग्रामों में ग्रामीण सहभागिता एवं उत्तरदायिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से "Entry Point Activity – Awareness Generation" के कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे।</p> <p>3. आदर्श ग्राम योजनाओं के लिए विहित सभी प्रकार के सर्वे का कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करवाने के लिए उत्तरदायी होंगे।</p> <p>4. आदर्श ग्राम योजनाओं के लिए विहित सभी प्रकार के "Village Development Plan" "Micro Plan" "Gap filling Plan" का ग्रामीण सहभागी आकलन विधि (PRA) द्वारा पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</p> <p>5. आदर्श ग्राम योजना से संबंधित ऑनलाइन एवं ऑफ लाइन प्रतिवेदन तैयार करवाने एवं राज्य मुख्यालय को समयबद्ध रूप से प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</p> <p>6. आदर्श ग्राम योजना के स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार सभी प्रकार के प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन के कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</p> <p>7. योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का दैनिक रूप से निदर्शन एवं मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</p> <p>8. योजना के कार्यक्षेत्र का नियमित भ्रमण कर योजना की प्रगति एवं योजना से संबंधित प्रखंड/पंचायत/ग्राम स्तरीय कर्मियों का क्षमता वर्धन एवं निदर्शन के लिए उत्तरदायी होंगे।</p> <p>9. लक्षित सभी ग्रामों को नियत समयावधि में आदर्श ग्राम के रूप स्थापित करने के लिए (स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, कृषि, गैर कृषि प्रक्षेत्र, सहकारिता, सामाजिक कुरीति को दूर करने, पारंपरिक एवं वैकल्पिक उर्जा,प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं जल संरक्षण आदि) तत्वों के सहभागी विकास एवं संरक्षण के नविन तकनीक एवं नवाचार को बढ़ावा देने वाले सामूहिक कार्ययोजना की परिकल्पना,निरूपण एवं कार्यान्वयन के उत्तरदायी होंगे।</p> <p>10. राज्य मुख्यालय के पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी/उपायुक्त/उप विकास आयुक्त के द्वारा दिए गए योजनागत एवं अन्य दिशानिदेश का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</p>	<p>पर अधिकारिक स्वीकृत यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के आधार पर।</p> <p>3.अन्य किसी प्रकार के भत्ते, बीमा एवं सुविधा के पात्र नहीं होंगे।</p>	
4.	<p>परामर्शी प्रखंड समन्वयक Young Professional (YP)</p>	<p>i. AICTE/UGC द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से ग्रामीण विकास (PGRD)/प्रबंधन (PGRM), Masters in Social Work (MSW), Agribusiness, Sociology, Labour &amp; Social Welfare (LSW), Public Health (MPH), Forest Management (FM) में द्विवर्षीय</p>	<p>ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों विशेषकर केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन, समन्वयन एवं अभिसरण का पंचायत/प्रखंड/ जिला स्तर पर न्यूनतम तीन (03) वर्षों का अनुभव।</p> <p>MS Office/ Internet/ Intranet परिचालन में कुशलता।</p>	<p>1. परामर्शी - प्रखंड समन्वयक जिला के निर्धारित प्रखंडों में कार्यान्वित किये जा रहे सभी प्रकार के आदर्श ग्राम योजनाओं यथा (सांसद आदर्श ग्राम योजना/प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना/आदर्श ग्राम योजना/मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना) के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वीकृत दिशानिदेश के अनुसार उपायुक्त/उप विकास आयुक्त/जिला कार्यक्रम प्रबंधक (NRLM)/प्रखंड विकास पदाधिकारी/जिला समन्वयक एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय कर योजना के कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</p> <p>2. आदर्श ग्राम योजनाओं के लक्षित ग्राम पंचायतों/ग्रामों में ग्रामीण सहभागिता एवं उत्तरदायिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से "Entry Point Activity – Awareness Generation" के कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे।</p> <p>3. आदर्श ग्राम योजनाओं के लिए विहित सभी प्रकार के सर्वे का कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करवाने के लिए उत्तरदायी होंगे।</p>	<p>1. रु० पच्चीस हजार (Rs. 25,000/-) मात्र एकमुश्त प्रतिमाह ।</p> <p>2.अधिकारिक स्वीकृत यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के आधार पर।</p> <p>3. अन्य किसी प्रकार के भत्ते, बीमा एवं सुविधा के पात्र नहीं होंगे।</p>

		<p>स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या समकक्ष</p>	<p>Age limit – 35 Years (As on 31/05/2017)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. आदर्श ग्राम योजनाओं के लिए विहित सभी प्रकार के "Village Development Plan" "Micro Plan", "Gap filling Plan" का ग्रामीण सहभागी आकलन विधि (PRA) द्वारा पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</li> <li>5. आदर्श ग्राम योजना से संबंधित ऑनलाइन एवं ऑफ लाइन प्रतिवेदन तैयार करवाने एवं राज्य मुख्यालय को समयबद्ध रूप से प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</li> <li>6. आदर्श ग्राम योजना के स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार सभी प्रकार के प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन के कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</li> <li>7. योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का दैनिक रूप से निदर्शन एवं मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</li> <li>8. योजना के कार्यक्षेत्र का नियमित भ्रमण कर योजना की प्रगति एवं योजना से संबंधित प्रखंड/पंचायत/गाम स्तरीय कर्मियों का क्षमता वर्धन एवं निदर्शन के लिए उत्तरदायी होंगे।</li> <li>9. लक्षित सभी ग्रामों को नियत समयावधि में आदर्श ग्राम के रूप स्थापित करने के लिए (स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, कृषि, गैर कृषि प्रक्षेत्र, सहकारिता, सामाजिक कुरीति को दूर करने, पारंपरिक एवं वैकल्पिक उर्जा, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं जल संरक्षण आदि) तत्वों के सहभागी विकास एवं संरक्षण के नवीन तकनीक एवं नवाचार को बढ़ावा देने वाले सामूहिक कार्ययोजना की परिकल्पना, निरूपण एवं कार्यान्वयन के उत्तरदायी होंगे।</li> <li>10. राज्य मुख्यालय के पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी/उपायुक्त/उप विकास आयुक्त /जिला समन्वयक के द्वारा दिए गए योजनागत एवं अन्य दिशानिदेश का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।</li> </ol>	
--	--	---	--	--	--

-sd-

सरकार के संयुक्त सचिव